## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24 / 203

अनवान : –

1. गोविन्दराम पुत्र श्री आयु 65 वर्ष निवासी वार्ड नं 23 रावतसर तहसील रावतसर।

– प्रार्थी

**बनाम्**

1. राजस्थान राज्य जरीये भू–धारक तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
2. कुम्भगिर पुत्र मेगपुरी जाति गोसाई (गुसांई) निवासी जोड़ी तहसील चूरु जिला चूरू।
3. गायत्री पत्नी उमपुरी जाति गोसाई (गुसांई) निवासी जोड़ी तहसील चूरु जिला चूरू ।
4. गीता पत्नी दुलाराम जाती जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
5. रणबीर पुत्र राजुराम जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
6. रामस्वरूप पुत्र राजुराम जाट निवासी 5 एसटीबी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. हेमराजपुरी पुत्र उदगिर जाति गोसाई (गुसांई) निवासी जोडी तहसील चूरु जिला चूरू (राज.)। ।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता सायल

**निर्णय** दिनांकः 16/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने जरिए बैनामा दिनांक 14 / 06 / 1995 को महासिंह पुत्र रावतराम भैराराम पुत्र किशना राम जाति जाट निवासी भनाई तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से उसकी संयुक्त खाता की भूमि मौजा ढाणी राईका सिरंगसर–ए के खाता संख्या 284 / 185 कुल 3245 हिस्सा खाता नंबर 1362 / 2–16, 1363 / 17–01 1364 / 3–05, 1376 / 22–00 1377 / 3–01, 1435 / 1–10 1436 / 23–09, 1437 / 2–06, 1455 / 1–00 किता 9 तादादी 76–08 बीधा बारानी में से अपनी सम्पूर्ण 962 हिस्सा में से 642 हिस्सा यानि 32–02 बीधा भूमि सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर खरीद कर कब्जा भूमि हासिल किया।

बैयनामा रजिस्ट्री खरीदश्दा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अकंन जरीये नामान्तरण स. 142 दर्ज फरमाया गया। वाद नामान्तरण सं. 142 प्रार्थी का नाम खाता सं. 49 पुराना, खाता सं. 51 नया में दर्ज किया गया है जो ग्राम ढाणी रायकान, पटवार हल्का सिंरंगसर, नू. अभि. नि. क्षेत्र गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ में दर्ज किया गया। वर्ष 2020 सम्वत् 2076 में राजस्व रिकार्ड कम्प्यूटीकृत किया गया। जमाबंदी 2076–2079 अप्रार्थीगण सं. 01 द्वारा जारी की गई प्रार्थी द्वारा इसकी नकल ली गई जिसमें भूमि ढाणी रायकान पटवार हल्का भू. अभि. नि. क्षेत्र खुईयां तहसील नोहर जिला हनुमा[illegible] 066 नया खाता संख्या 48 में दर्ज की गई प्रार्थी का संयुक्त खाता में हिस्सा 3823 [illegible] जो कि भूमि 3.823 है कुल भूमि 19.322 है. में बनती है [illegible] के है जबकि कु[illegible]8 में प्रार्थी का 642 हिस्सा यानि 32.02 बीघा भूमि है। इस प्रकार [illegible] की कुल भूमि में [illegible] बीघा भूमि कम कर दी गयी। इससे प्रार्थी के अधिकारों प्रर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी अपनी 17.00 बीधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी भूमि से वंचित हो गया। प्रार्थी ने दिनांक 03–08–2021 को एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 01 को जमाबन्दी के गलत अंकन को दुरूस्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रिर्पोट जांच कर जारी करने का आदेश जारी किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार (राजस्व) खुईयां को प्रार्थी के खातेदारी रकबा के पूर्ण ज्ञान हेतु दिनांक 22 अप्रेल 2022 की प्रस्तुत किया जिसके साथ फोटो प्रतिलिपि बैयनामा दिनांक 14 जून 1995 मय नक्शा व भूमि विवरण जो बेचान की गई नामांन्तरण संख्या 142 दिनांक 15/09/1998 जमाबंदी संख्या 2064–2067 व जमाबंदी संख्या 2076–79 गांव ढाणी रायकान प्रस्तुत की गई। उप तहसीलदार (मु.अ.)खुईयां द्वारा पटवार हल्का सिंरगसर को मूल प्रार्थना पत्र भेज कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की सत्जन्य रिकार्ड/मौका अन्य विवाद आदि जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन अविलम्ब पेश करने का आदेश फरमाया। प्रपटवारी पटवार हल्का सिरंगसर ने अपनी रिपोर्ट जारी कर निम्न प्रकार से खुलासा किया कि (1) वर्ष 1976 में ग्राम सिंरंगसर में खसरा नं 1257, 1258, 1259, 1260,1262, 1363, 1364,1376, 1377,1435, 1436, 1455 कुल रकबा 162–05 बीघा या 3245 हिस्सा महासिंह वल्द रावताराम, धर्मपाल वल्द पूर्णाराम कौम जाट साकिन रामपुरा बास, मैदाराम वल्द किसनाराम कौम जाट साकिन भनाई तह. भादरा 962 हिस्सा, गायत्री जोजा ओमपुरी 830 हि.. कुम्भपुरी वल्द मेघपुरी 884 हि.. हनुमानगिर वल्द भगवन्तगिर 455ः हि., उदगिर वल्द रामगिर 113ः कौम गुसांई सा. देह खातेदार दर्ज था। तत्पश्चात लगभग 1985–86 में ग्राम सिंरगसर से ढाणी रायकान अलग राजस्व ग्राम बना। जिसमें ढाणी रायकान में ख.नं. 1362, 1363, 1364, 1376, 1377, 1435, 1438, 1437, 1455 कुल रकबा 76.08 बीधा (1528 हि.) चला गया शेष ख. नं. 1257, 1258, 1259, 1260 कुल 85.17 बीघा (1717 हि) ग्राम सिंरगसर में रह गया। परन्तु खातेदारान का हिस्सा सिरंगसर व ढाणी रायकान 3245 हि. 3245 हि. बराबर रख दिया गया।

गायत्री पत्नि ओमपुरी 830हि. सिंरगसर व ढाणी रायकान दोनों गांवों में दर्ज है। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार ग्राम सिंरगसर में गायत्री का 830–720–110 हिस्सा शेष बचता है। कुम्भपुरी पुत्र मेघपुरी का 884 हि. में से ग्राम सिंरगसर में 652 हि. हेमराजपुरी पुत्र ओमपुरी 232 हि ने परमेश्वरी पत्नि लालपुरी जाति गुसांई सा. सिंरगसर को बैय कर दी ढाणी रायकान की जमाबन्दी स. 2072–75 में 884 हि. दर्ज है। जबकि ग्राम सिंरगसर में अपना सम्पूर्ण 884 हि. बैय कर चूका है। ढाणी रायकान में हनुमानगिर वल्द भगवन्तगिर 455ः हि. दर्ज है। महासिंह बगैरहा ने 320 हि. गीता पत्नि दुलाराम जाति जाट साकिन सिंरगसर व 642 हि. रिछपाल वल्द गोविन्दराम जाति कुम्हार सा. रावतसर को बैय कर दिया। यानि की हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हो गयी। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण का हिस्सा कुछ सिरंगसर व कुछ ढाणी रायकान में गलत दर्ज है अप्रार्थीगण के नाम अपने हिस्सा से अधिक भूमि दर्ज हो गयी व प्रार्थी के नाम कम दर्ज है इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वाद भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 48/56 के ख.नं. 1362 की 0.7080 हैक्टर, ख.नं. 1363 की 4.3120 हैक्टर, ख[illegible] की 0.8220 हैक्टर, ख.नं. 1376 की 5.5640 हैक्टर, ख.नं. 1377 की 0.77[illegible] की 0.3790 हैक्टर, ख.नं. 1436 की 5.9310 हैक्टर, ख.नं. 1437 की 0.5[illegible] 1455 की 0.2530 हैक्टर कुल खसरे 9 की कुल तादादी 19.3220 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई [illegible]षेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुंतकिल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थीगण उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि ग्राम सिंरगसर से ढाणी रायकान अलग राजस्व ग्राम बना। जिसमें ढाणी रायकान में ख.नं. 1362, 1363, 1364, 1376, 1377, 1435, 1438, 1437, 1455 कुल रकबा 76.08 बीधा (1528 हि.) चला गया शेष ख. नं. 1257, 1258, 1259, 1260 कुल 85.17 बीघा (1717 हि) ग्राम सिंरगसर में रह गया। परन्तु खातेदारान का हिस्सा सिरंगसर व ढाणी रायकान 3245 हि. 3245 हि. बराबर रख दिया गया एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के हिस्सा गलत दर्ज हो गये है अप्रार्थीगण के नाम ज्यादा भूमि दर्ज हो गयी है। पत्रावली में प्रस्तुत पटवारी रिपोट के मुताबिक ग्राम सिरंगसर व ढाणी रायकान में खातेदारान का हिस्सा बराबर दर्ज किया गया है खातेदारान के हिस्सा गलत दर्ज है अतः उपरोक्तवेचनास्वरूप प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थी के पक्ष में जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने के कारण स्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 7 ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 48/56 के ख.नं. 1362 की 0.7080 हैक्टर, ख.नं. 1363 की 4.3120 हैक्टर, ख.नं. 1364 की 0.8220 हैक्टर, ख.नं. 1376 की 5.5640 हैक्टर, ख.नं. 1377 की 0.7710 हैक्टर, ख.नं. 1435 की 0.3790 हैक्टर, ख.नं. 1436 की 5.9310 हैक्टर, ख.नं. 1437 की 0.5820 हैक्टर, ख.नं. 1455 की 0.2530 हैक्टर कुल खसरे 9 की कुल तादादी 19.3220 हैक्ट भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:56 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर